दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 29-07-2025

न मस्तूरी थाने में दर्ज कराई है। विकास ने बताया कि ... कर चकरभाठा थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

भास्कर खास हाई कोर्ट ने कहा- वैध लाइसेंस था, वह ऐसे वाहन चला सकता है

पिकअप की टक्कर से मौत, बीमा कंपनी की अपील खारिज, परिजन को देना होगा 20 लाख रु. मुआवजा

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

मोटर वाहन दुर्घटना के एक मामले में बीमा कंपनी की अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा है कि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि वाहन बिना परमिट के चलाया जा रहा था। ऐसे में बीमा कंपनी को 20 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा।

महेंद्र कुमार अनंत और उत्तम कुर्रे 6 दिसंबर 2019 की रात बाइक से ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में जांजगीर-चांपा के बलौदा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मृतक के परिजन ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के तहत मुआवजे की मांग करते हुए मामला प्रस्तुत किया था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोरबा ने 3 सितंबर 2022 को बीमा कंपनी को परिजन को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके खिलाफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील की। दावा किया कि हादसे के समय पिकअप वैध परमिट के बिना चलाया जा रहा था। यह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनिवार्य है। साथ ही ड्राइवर के पास केवल लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस था, जबकि वह मालवाहक चला रहा था। कंपनी ने तर्क दिया कि इस कारण मुआवजे की जिम्मेदारी नहीं बनती।

हाई कोर्ट ने कहा- मालवाहक एलएमवी श्रेणी का वाहन

हाई कोर्ट ने मुकुंद देवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और बजाज एलायंस विरुद्ध रंभा देवी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि 7500 किलो से कम वजन वाले परिवहन वाहन हल्के मोटर वाहन यानी एलएमवी की श्रेणी में आते हैं। इसलिए यदि ड्राइवर के पास एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वह ऐसे वाहन चला सकता है। हाई कोर्ट के बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि अधिकरण का फैसला सही और तथ्यों पर आधारित है। मृतक के परिजन को 20 लाख 72 हजार 84 रुपए मुआवजा और 6% ब्याज का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।